हुक्म की तालीम में जारी हुए

12/5/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वाद एकतरफा के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 212 RT Act के प्रा0 पत्र को adjudicate करने के लिए हमें निम्न तीन बिन्दुओं पर सोचना आवश्यक है :-

(अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- आवे0 प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम कोलरखेड़ी पटवार हल्का सांगरिया की वादग्रस्त आराजी खाता सं0 137 किता 4 रकबा 1.5050 hac भूमि अप्रार्थी क्रम 1 की पैतृक आराजी है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा कोई भी ऐसा documentary evidence पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त आराजी चतुर्थ पुरुष पीढ़ी से अविभाजित रूप में विरासत में अप्रार्थी 1 को प्राप्त हुई हो। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी क्रम 1 की ancestral property साबित नहीं है अतः अप्रार्थी को कोई भी transaction (अंतरण) करने का अधिकार है। रिकार्ड खातेदार हुकम अप्रार्थी को बिना किसी strong evidence के उसके खाते की भूमि के बेचान या अन्य अंतरण से रोकना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है।

(स) अपूरणीय क्षति :- जब प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है तो अपूरणीय क्षति भी साबित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र u/s 212 RT Act r.w.o. 39 R1&2 CPC खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर [illegible] अहका[illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी [illegible]
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़	[signature] 17/5/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:24:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner